सं. फा. 7(186)/12/डीओएफएस/10062-10072.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. 27/59-एचआईएम (1) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशासक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए पदनाम, पदों की संख्या, पद का वेतनमान, आयु-सीमा, शैक्षणिक योग्यता, परिवीक्षा की अवधि, भर्ती की पद्धति, विभागीय पदोन्नति समिति का गठन के संबंध में यहां संलग्न अनुसूची में नियमों में संशोधन करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

डी. एस. पण्डित, विशेष सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)

अनुलग्नक-1

खाद्य सुरक्षा विभाग में पदनामित अधिकारियों के पद के भर्ती नियम-

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2.	**पदों की संख्या**	:	32* (2013) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	**पे बैंड तथा ग्रेड पे/वेतनमान**	:	पीबी–2 (9300–34800/–रुपये) ग्रेड पे 4200/–रुपये
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) नोटः—आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि वही होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालेंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लददाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	:	<u>अनिवार्य</u> (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित मान्यता प्राप्त योग्यता/अन्य किसी समकक्ष से खादय प्रौद्योगिकी या डेरी प्रौद्योगिकी या जीव प्रौद्योगिकी

			या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु पालन विज्ञान या जीव रसायन या सूक्ष्म जीव विज्ञान में उपाधि या रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या औषधि में डिग्री (ii) मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा इस उद्देश्य के लिये अनुमोदित संस्थान में खादय प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करना।
			टीपः— अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं सक्षम प्राधिकरण के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	सीधी भर्ती के लिये दो वर्ष
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	सीधी भर्ती द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है**	:	लागू नहीं
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	वर्ग 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचारार्थ) 1. प्रधान सचिव (स्वा0 एवं परिवार कल्याण), रा0 रा0 क्षे0 दि0 सरकार— अध्यक्ष 2. आयुक्त (खादय सुरक्षा), रा0 रा0 क्षे0 दि0 सरकार— सदस्य 3. अतिरिक्त सचिव (स्वास्थ्य), रा0 रा0 क्षे0 दि0 सरकार— सदस्य
13.	**वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया**		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।